<u>गोपनीय</u>

सं. 14/4/2013-डीजीएडी-लागत
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5. संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक 03 अगस्त, 2015

<u>व्यापार नोटिस सं. 02/2015</u>

विषयः पाटनरोधी मामलों को प्रस्तुत करने के दौरान प्राप्त सहायक दस्तावेजों/ सूचना की प्रामाणिकता।

डीजीएडी में पाटनरोधी याचिकाओं को प्रस्तुत करने में याचिकाकर्ताओं से स्पष्टीकरण और सहायक दस्तावेजों की जरूरत है ताकि इन याचिकाओं की जांच में सुविधा हो सके। अतः यह आवश्यक है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना रखे बिना सही, पूर्ण और प्रामाणिक सूचना प्रस्तुत की जाए।

2. यह पता चला है कि पाटनरोधी जांच के दौरान हितबद्ध पक्षकारों/ परामर्शदाताओं द्वारा मूल याचिका प्रस्तुत करने के बाद प्रदान किए गए सहायक दस्तावेज तथा स्पष्टीकरण प्रामाणिक नहीं हैं। इसके कारण, आगे स्पष्टीकरण/ सहायक दस्तावेजों की मांगने की जरूरत पड़ती है। इससे पाटनरोधी कार्यवाहियों में विलंब/ बाधा आ सकती है।

3. उपरोक्त को देखते हुए, एतदद्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि पूर्ण और विधिवत अधिप्रमाणित मूल याचिका प्रस्तुत करने के बाद प्राप्त सभी दस्तावेज/ वित्तीय सूचना/ सहायक साक्ष्य अब से कंपनी के कार्यकारी/ निदेशक/ भागीदार अथवा फर्म के मालिक/ याचिका/ प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने वाली कंपनी/ फर्म के विधिवत अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

4. इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(बी.एस. भल्ला)
संयुक्त सचिव

सेवा में,

(क) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट।

(ख) सभी व्यापार संघ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से अनुरोध है कि इस व्यापार नोटिस की सामग्री को अपने सदस्यों/संघटकों की जानकारी में लाएं।

(ग) नई दिल्ली स्थित सभी दूतावासों और राजनियक मिशनों से यह अनुरोध किया जाता है कि इस व्यापार नोटिस की सामग्री को संबंधित की जानकारी में लाएं।

(घ) सभी जांच अधिकारी/कंपनियां।